न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार
निवारण) अधिनियम, बहराइच।

जे०ओ० कोड संख्या यू०पी० 2735

परिवाद संख्या 112/2019

श्रीमती गुड़िया **प्रति** जज महराज आदि।
थाना रूपइडीहा, बहराइच।

आरोप

मैं, पवन कुमार शर्मा–II, विशेष न्यायाधीश/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम आप अभियुक्तगण **जज महराज उर्फ शशिकान्त** व **विजय कुमार** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

1– यह कि दिनांक 24.03.2019 समय करीब 06 बजे शाम, बहद स्थान चर्दा जमोग से बाबागंज मार्ग, थाना रूपइडीहा, जनपद बहराइच के अन्तर्गत आप अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादिनी श्रीमती गुड़िया को स्वेच्छया मारकर साधारण चोटें पहुंचायी। इस प्रकार आप लोगों ने भा०द०सं० की धारा 323/34 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप सह अभियुक्त के साथ मिलकर परिवादिनी की सम्पत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार आप लोगों का कृत्य भा०द०सं० की धारा 356 के अधीन दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने परिवादिनी को जातिसूचक गालियाँ देकर इस आशय से प्रकोपित किया कि वे लोक शान्ति भंग कर सकती थी। इस प्रकार आप लोगो ने भा०द०सं० की धारा 504 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने परिवादिनी को यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति की है, के विरूद्ध अपराध किया। इस प्रकार आप लोगों का कृत्य धारा 3(1)(x) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

मैं, एतदद्वारा निर्देश देता हूँ कि उपरोक्त विरचित आरोपों के सम्बन्ध में आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

(पवन कुमार शर्मा–II)
दिनांक 25–07–2026 विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

अभियुक्तगण को उक्त आरोप पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये जिससे इन्कार करते हुए विचारण की माँग की गयी।

(पवन कुमार शर्मा–II)
दिनांक 25–07–2026 विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बहराइच।

परिवाद संख्या 112/2019

श्रीमती गुड़िया **प्रति** जज महराज आदि।
थाना रूपइडीहा, बहराइच।

25-07-2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। अभियुक्तगण **जज महराज उर्फ शशिकान्त** व **विजय कुमार** मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) ने अपना कथन आरम्भ करते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाले साक्ष्य का उल्लेख किया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हो रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर सम्यक विचार करने के उपरान्त न्यायालय, इस मत का है कि अभियुक्तगण **जज महराज उर्फ शशिकान्त** व **विजय कुमार** के विरूद्ध भा०द०सं० की धारा 323/34, 504, 356 एवं धारा 3(1)(x) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित करने के लिये पर्याप्त आधार विद्यमान है, तदनुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किया जाये।

पत्रावली दिनांक 01.10.2026 को साक्ष्य हेतु पेश हो। साक्षीगण उक्त तिथि के लिए जरिए सम्मन आहूत हो।

(पवन कुमार शर्मा-II)
विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बहराइच।